कार्यालय, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

ई–निविदा सूचना

(केवल ई–टेण्डरिंग वेबसाइट **(https://etender.up.nic.in)** के माध्यम से)

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में स्थिति द्वारिका एवं वृदावन छात्रावास में हाउसकीपिंग तथा साफ–सफाई/स्वीपिंग के लिये कार्य अनुबन्ध हेतु एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई निविदायें On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	विवरण
1	निविदा की अनुमानित लागत	6,00,000/– (छः लाख मात्र)
2	अर्नेस्ट मनी	10,000/– (दस हजार मात्र)
3	निविदा प्रपत्र की धनराशि	रू0 500/– (पॉच सौ मात्र– नान रिफन्डेबल) डी0डी0 के रूप में जोकि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम से देय हो।
4	निविदा प्रकाशन की तिथि	दिनांक 11.03.2018
5	ई–निविदा पोर्टल पर ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 12.03.2018 समय– पूर्वान्ह 09:30 बजे से
6	ई–निविदा पोर्टल द्वारा ई–निविदा आन लाइन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 27.03.2018 समय अपरान्ह 05:00 बजे तक
7	ई–निविदा अपलोड/जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक 12.03.2018 समय पूर्वान्ह 09:30 बजे से
8	ई–निविदा प्राप्त करने/डाउनलोड/क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 27.03.2018
9	ई–निविदा पोर्टल द्वारा ई–निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने की तिथि, समय व स्थान	तकनीकी बिड–दिनांक 28.03.2018 समय अपरान्ह 12:30 बजे, वित्तीय बिड–दिनांक 28.03.2018 समय अपरान्ह 03:00 बजे स्थान कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
10	विड वैधता की अवधि	30 दिन
11	कार्य की अवधि	365 दिन

निविदा प्रपत्र ई–निविदा की वेबसाइट https://etender.up.nic.in एवं https://www.sirdup.in पर भी देखी जा सकती है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेब साइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

महानिदेशक

ई–निविदा : शर्तें

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में स्थिति द्वारिका एवं वृदावन छात्रावास में हाउसकीपिंग तथा साफ–सफाई/स्वीपिंग के लिये कार्य अनुबन्ध हेतु एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई निविदायें On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। केवल वही निविदादाता ई–निविदा डाले जो ई–पोर्टल पर पंजीकृत हों।

1. निविदा प्रकिया को निविदा पोर्टल पर तकनीकी बिड में उल्लिखित प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड किया जाना होगा तथा वित्तीय बिड में अपनी दरों को अंकित करते हुए वित्तीय बिड नियमानुसार अपलोड करना होगा।
2. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को ई पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

   क– फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति

   ख– आयकर पंजीयन/पैन कार्ड की प्रति।

   ग– जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

   घ– श्रम विभाग में पंजीकरण की छाया प्रति।

   च– विगत 3 वर्षों (2015, 2016, 31.03.17 तक) में कुल 30 लाख की टर्न ओवर।

   छ– इस क्षेत्र में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।

   ज– ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 प्रमाण प्रति।

   झ– विगत 3 वर्षों (2015, 2016, 31.03.17 तक) में प्रतिवर्ष टैक्स जमा करने की चालान की प्रति।

   ट– निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी डिपाजिट के रूप में रू0 10,000/–(दस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो **''महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ''** के पक्ष में लखनऊ में देय हो, तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाय। बिना अर्नेस्टमनी डिपाजिट के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
   ठ– निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500/– जोकि नान रिफन्डेबल होगा का डिमान्ड ड्राफ्ट **''महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ''** के पक्ष में देय होगा, की प्रति तकनीकी बिड के साथ नियमानुसार अपलोड किया जायेगा।

   उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 पर उल्लिखित सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा तकनीकी अभिलेख प्रपत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे।

3. अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी डिपाजिट की धनराशि निविदा खुलने के दो माह के भीतर लौटा दी जायेगी।

4. हाउस कीपिंग के कार्यों हेतु 03 श्रमिक दिन में तथा 03 श्रमिक रात में तथा साफ–सफाई कार्यो हेतु 02 श्रमिक दिन में 02 श्रमिक रात में संस्थान छात्रावास पर उपस्थिति रखने होंगे, जिनके लिए निविदा में स्वीकृत प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह की दर से फर्म को भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की उपस्थिति तथा उनसे मानकों के अनुरूप सन्तोषजनक कार्य सम्पादन कराने हेतु दिन एवं रात में पर्यवेक्षण/मॉनिटरिंग कार्य हेतु सुपरवाइजर की व्यवस्था फर्म को करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।

5. रोज–रोज कार्मिकों को बदलने से उनकी कार्यदक्षता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः फर्म को एक बार कार्मिकों का चयन संस्थान की सहमति से कर यथा संभव उन्हीं कार्मिकों से ही कार्य लेना होगा।

6. अर्नेस्टमनी तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा खोले जाने वाले दिनांक को प्रातः 11:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में मूल प्रति के रूप में जमा करना होगा अन्यथा निविदायें अमान्य कर दी जायेंगी।

7. निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त निविदादाता को रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) सिक्योरिटी धनराशि जोकि **"महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ"** के पक्ष में जमा करनी होगी।

8. यह कार्य– निविदा, कार्य अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि में कोई दर परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

9. कार्य आदेश के एक सप्ताह के अन्दर समस्त वांछित कार्य प्रारम्भ करना होगा।

10. फर्म द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों/कार्मिकों का सत्यापन पुलिस से कराना आवश्यक होगा तथा सत्यापन की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। कार्य में लगे हुए श्रमिकों को निर्धारित ड्रेस में रहना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक श्रमिक के पास परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा। उक्त श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा कृत किसी अवैधानिक कृत्य की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/संस्था की होगी और ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त हटाकर उचित प्रतिस्थानी की व्यवस्था संबंधित फर्म/संस्था द्वारा की जायेगी।

11. मानक के अनुरूप कार्य न होने पर अधिकतम 30 प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी। इसके बाद भी सुधार न होने पर उक्त कार्य आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

12. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक दी0द0उ0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।

13. फर्म/संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक श्रम कानून की सभी धाराओं का पालन करेगा तथा उनकी अवहेलना करने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. फर्म/संस्था को अनुलग्नक–अ एवं ब में उल्लिखित हाउसकीपिंग एवं साफ–सफाई से संबंधित कार्य सम्पादित करने होंगे। समस्त कार्यों का बिल दो प्रतियों में मासिक भुगतान हेतु देना होगा। बिलों का भुगतान कार्य परीक्षण के पश्चात संतोषजनक पाये जाने पर किया जायेगा।

15. अनुमन्य दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। आवश्यकतानुसार कार्य सन्तोषजनक होने पर, फर्म के अनुरोध पर महानिदेशक संस्थान द्वारा निविदा अवधि को पुनः एक वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

16. निविदादाता द्वारा कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान से ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि वैद्यानिक देयताओं का वहन स्वयं नियमानुसार किया जायेगा। इसके लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

17. निविदादाता को समस्त करों का भुगतान करना होगा। इसके लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

18. केवल तकनीकी प्रपत्र पूर्ण करने वाली निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी।

19. कुल अनुमानित कार्य की राशि कम अथवा ज्यादा हो सकती है।

20. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र भरने के उपरान्त यह मान लिया जायेगा कि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को भली–भाँति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तें निविदादाता द्वारा स्वीकार की जाती है।

21. संस्थान के महानिदेशक का किसी भी मामले में दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

22. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र कार्य– अनुबन्ध की निविदा है। अतः निविदा फर्म के श्रमिकों के समायोजन या श्रमिक कानूनों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निविदादाता फर्म/संस्था का होगा। संस्थान इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

अनुलग्नक-अ

हाउस कीपिंग से सम्बंधित कार्य

1. द्वारिका छात्रावास तथा वृन्दावन छात्रावास के कमरों में झाड़ू, पोंछा व डस्टर लगाना।
2. चादर/तकिया कवर आदि बदलना।
3. पीने का पानी रखना।
4. कूलरों में पानी भरना व निकालना।
5. कमरों के अन्दर रखे समस्त फर्नीचर, विद्युत प्वाइन्ट टी0वी0 आदि की साफ-सफाई व देख-रेख करना।
6. प्रतिभागियों के जाने के बाद कमरों के सामनों को भली-भॉति चेक करके चाभी प्राप्त करना।
7. प्रतिभागियों के जाने के तत्काल बाद कमरे की सफाई कर चादर आदि लगाकर पुनः प्रतिभागी को देने हेतु कमरा तैयार करना।
8. कमरे में विद्युत/जल/फर्नीचर आदि की खराबी पर केयर टेकर को तुरन्त अवगत कराना।

अनुलग्नक-ब

स्वीपिंग/क्लीनिंग से सम्बंधित कार्य

1. द्वारिका छात्रावास तथा वृन्दावन छात्रावास के कमरों के टूवायलेट की प्रतिदिन सफाई करना।
2. गैलरी, कामन टूवायलेट व आंगन आदि की प्रतिदिन सफाई करना व पोछा लगाना।
3. डायनिंग हाल, रिसेप्शन हाल में प्रतिदिन नाश्ते, लन्च तथा डिनर के पूर्व झाड़ू व पोंछा लगाना।
4. छात्रावास के प्रांगण की सफाई व कूड़ा हटाना।

निविदा प्रपत्र

(वित्तीय विड)

क्रमांक	कार्य	धनराशि प्रतिमाह रू0 में (सभी करों सहित)
1	छात्रावास में हाउस कीपिंग का कार्य संबंधित कार्य (अनुलग्नक–अ)	
2	साफ सफाई (Sweeping/Cleaning) सम्बंधित कार्य (अनुलग्नक–ब)	
कुल–	**अंकों में–**	
	शब्दों में–	

मै/हम, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या– .... के संदर्भ में .... कार्य हेतु निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्य/शर्तों को पढ़कर भली–भॉति समझ लिया है तथा उक्त निविदा में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूॅ/करते हैं।

हस्ताक्षर ....
(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम ....
पता..
....
मुहर सहित ....